980
24/7

सीसीटीएनएस/अति महत्वपूर्ण।

मुख्यालय उत्तर प्रदेश पुलिस तकनीकी सेवायें

8वॉ तल, टावर–4, पुलिस मुख्यालय, अमर शहीद पथ, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ–226002, उत्तर प्रदेश

पत्रांकःटीएस–सीसीटीएनएस–75/2012 दिनांकःजुलाई 15, 2019

सेवा में,

1. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक जोन, उत्तर प्रदेश।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवेज, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, परिक्षेत्र उत्तर प्रदेश।
4. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद उत्तर प्रदेश।
5. समस्त पुलिस अधीक्षक, रेलवेज, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जोन/ परिक्षेत्र/ जनपद कोऑर्डिनेटर कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड–ए) उत्तर प्रदेश।

विषयः– UPCOP Mobile app की समस्त सुविधाओं का 15 दिवस में अभियान चलाकर व्यापक प्रचार–प्रसार किये जाने विषयक।

उपरोक्त के कम में सादर अवगत कराना है कि UPCOP Mobile app पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय उ0प्र0, लखनऊ द्वारा बनवाया गया है। इस ऐप्प में आम नागरिकों के प्रयोगार्थ 27 पुलिस सुविधाओं का समावेश है।

2. यह भी अवगत कराना है कि यह ऐप्प देश का सर्वश्रेष्ठ ऐप्प है जिसे बी0पी0आर0 एण्ड डी0 द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर देश के सर्वश्रेष्ठ ऐप्प के रूप में पुरस्कृत किया गया है एवं वर्ष 2018 में SKOCH अवार्ड भी मिला है, राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न राज्यों के साथ हुई “NCRB Running Trophy for Empowering Police with Information Technology States/UTs” प्रतिस्पर्धा जून 2019 में "NCRB रनिंग ट्रॉफी" जीती है। इसे देश का सबसे अच्छा नागरिक केंद्रित पुलिस ऐप माना जा रहा है, परन्तु इस ऐप्प का व्यापक प्रचार–प्रसार न होने के कारण पुलिस विभाग के लोगों एवं आम जनता को भी इस ऐप्प की समुचित जानकारी नहीं है।

3. जमानत याचिका संख्याः 8835/2018 रवि बनाम उत्तर प्रदेश सरकार में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/ निर्देशों/ आदेश दिनांकः 30.10.2018, 15.11.2018, 29.11.2018, 12.02.2019, 25.03.2019, 29.04.2019, 10.07.2019 के अनुपालन में सीसीटीएनएस योजना के प्रभावी संचालन, अनुश्रवण एवं कियान्वयन हेतु समुचित कार्यवाही के अनुश्रवण हेतु **अगली नियत तिथि 27.08.2019 पर मा0 उच्च न्यायालय को अवगत कराये जाने के सम्बन्ध में निर्दिष्ट कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। मा0 उच्च न्यायालय के लखनऊ बेंच के आदेश दिनांक 25.03.2019, 10.07.2019 एवं समांक पत्र दिनांक 05.07.2019 (छाया प्रति संलग्न) किया जा रहा है।**

4. उक्त UPCOP Mobile app का प्रचार–प्रसार हेतु पुलिस उपाधीक्षक के पर्यवेक्षण में समस्त जोन/ परिक्षेत्र/ जनपद कोऑर्डिनेटर कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड–ए) उत्तर प्रदेश, प्रदेश के थानों के माध्यम से 15 दिवस का अभियान चलाकर समस्त जोन/ परिक्षेत्र/ जनपद उत्तर प्रदेश में समस्त विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, कालेजों तथा विद्यालयों में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में UPCOP Mobile app का व्यापक प्रचार–प्रसार करके आम–जनमानस तथा छात्र/छात्राओं को बतायें एवं डाउनलोड किये जाने हेतु प्रेरित करें।

संलग्नकःयथोपरि।
(मेल द्वारा प्रेषित)

15/7

(आशुतोष पाण्डेय)
अपर पुलिस महानिदेशक,
उ0प्र0 पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय, लखनऊ।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, गृह (पुलिस) अनुभाग–7, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।
2. रजिस्ट्रार, समस्त विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज उत्तर प्रदेश
   मेल–info@dheup.com, reminder@dheup.com
4. निदेशक माध्यमिक शिक्षा 18 पार्क रोड, कैम्प कार्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
   मेल–desecedu@gmail.com, upmsp@rediffmail.com
5. निदेशक बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, विद्या भवन, निशातगंज लखनऊ, 226007
   ईमेल -: info@basiceducationup.com
6. समस्त, प्रोग्रामर ग्रेड–2, उ0प्र0 पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय, लखनऊ।

प्रोग्रामर:
उक्त पत्र को वि.वि. की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।

24.7.18
कुल सचिव
डा० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय
अयोध्या

TS-CCTNS-75(2012) part 2